

मालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

3/202- पत्तावली द्वारा मिलाल तलमी के जमानत पर
 आप प्रेशर है। कावी वकील उपाय है। कावी
 वकील ने भवगत कराया कि कावी जण प्रस
 मार्ग नही चलसावा है है। कावी जण प्रस
 नोटिस में स्पष्टि करवाया था है। अतः
 मुंवर 195/19 दावा कुंभर ~~का~~ बजाम-कुंभर
 नोटिस में स्पष्टि किया जाल है। पत्तावली
 फौजल मुंभर देकर नुंभर से आर्य।

↓
 उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करौली)